न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 116/2022

1 बजरंग सिंह आयु 70 वर्ष पुत्र श्री कल्याण सिंह जाति राजपूत निवासी डाबड़ी धीरसिंह तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं राजस्थान।

अपीलांट

बनाम

1 उम्मेद सिंह उम्र 67 वर्ष पुत्र श्री कल्याण सिंह जाति राजपूत निवासी डाबड़ीधीर सिंह तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू राजस्थान।
2 कैलाश कंवर पत्नी गोपाल सिंह उम्र 69 वर्ष जाति राजपूत निवासी डाबड़ीधीर सिंह तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू राजस्थान।
3 रेणु कंवर पुत्री गोपाल सिंह उम्र 48 वर्ष जाति राजपूत निवासी डाबड़ीधीर सिंह तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू राजस्थान।
4 सुनिता कंवर पुत्री गोपाल सिंह आयु 47 वर्ष जाति राजपूत निवासी डाबड़ीधीर सिंह तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू राजस्थान।

रेस्पोडेंट

प्रथम अपील राजस्थान टिनेन्सी एक्ट अन्तर्गत धारा–223
अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 11.05.2022
उपखण्ड अधिकारी मलसीसर उनवानी दावा बजरंग सिंह
बनाम उम्मेदसिंह वगैरह मु.नं. 91/2020

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर- (कैम्प झुन्झुनूँ)

उपस्थिति :

1. श्री औमप्रकाश डांगी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सुभाष पुनिया, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः—10.6.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर द्वारा मुकदमा नम्बर 91/2020 में पारित निर्णय दिनांक 11.05.2022 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर के यहां बजरंगसिंह बनाम उम्मेदसिंह वगैरह मु.नं. 91/2020 दिनांक 09.11.2020 को पेश किया गया था। इस वाद पत्र में वादी ने खेत खसरा नम्बर 748 रकबा 0.01 हैक्टेयर, जो कि गैर मुमकिन कुआ सरहद राजस्व ग्राम डाबड़ी धीरसिंह में स्थित है। जिसमें विद्युत पम्प सैट एवं कनेक्शन को स्थानान्तरित न करने बाबत पेश किया गया था। जिसमें अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 तथा 2 लगायत 5 प्रत्येक का 1/3 हिस्सा है। इस कुए में कृषि विद्युत कनेक्शन एवं पम्प सैट लगा हुआ है जो कि शामलाती हैं उक्त विवादित कुए बाबत रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 उम्मेद सिंह ने विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर के यहां एक दावा पेश किया उक्त दावे में भी रेस्पोडेन्ट उम्मेद सिंह ने कुआ एवं विद्युत कनेक्शन स्थानान्तरित नही करने बाबत वाद दायर किया एवं अनुतोष चाहा। विचारण न्यायालय ने उक्त दोनों दावो को कन्सोलिडेट न कर कानूनी भूल की, उक्त दोनों दावो में विचारण न्यायालय में जो बात जवाब पेश करने पर इश्यू कायम नहीं किया। विचारण न्यायालय ने उक्त मुकदमें में पक्षकारों के मध्य कोई

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

सहमति नहीं होने के बावजूद भी अपने निर्णय में कयास के आधार पर सहमति दिखाते हुए निर्णय एवं डिक्री पारित की जो कि किसी भी रूप से सही नहीं है। विचारण न्यायालय ने विवादित बिन्दू खसरा नम्बर 748 के रकबा 0.01 हैक्टेयर जो कि गैर मुमकिन कुआ है। इस विवादित भूमि में कुए की नाल, ढाणा, चौपड़ा, होदी एवं गुमटी (मीटर रूम) बाबत अनुतोष चाहा गया था परन्तु विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री में चाहे गये अनुतोष के अतिरिक्त अन्य शब्द का उपयोग कर नया विवाद पैदा कर दिया जबकि कुए के अलावा अपीलांट बजरंग सिंह ने स्वयं के खसरा नम्बर 1033/750 के खेत खातेदारी हक एवं कब्जे काश्त की भूमि में स्वयं के द्वारा निर्मित मकान भी है। जिसमें संबंधित अपीलान्ट के अलावा रेस्पोडेन्ट का कोई हक अधिकार नहीं है। विवादित खसरा नम्बर 748 रकबा 0.01 गैर मुमकिन कुआ सर्वेसीट में गलती से खसरा नम्बर 1034/750 के दक्षिण पूर्वी कोने में दर्शाया गया है जबकि उक्त गैर मुमकिन कुआ खसरा नम्बर 748 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1033/750 के दक्षिण दिशा में स्थित है। जिसको दुरूस्तत किया जाना न्यायोचित है। विचारण न्यायलय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिक्री कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने बजरंग सिंह बनाम उम्मेद सिंह वगैरह मु.नं. 91/2020 एवं मुकदमा उम्मेद सिंह बनाम बजरंग सिंह वगैरह मु.नं. 08/2021 को कन्सोलिडेट न कर तनकियात कायम न करने की कानूनी भूल की है। विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री में पक्षकारों की सहमति नही होते हुए भी आर.बी.ट्रेरी रूप से सहमति दर्ज कर अपना अपना निर्णय एवं डिक्री पारित की है। विचारण न्यायालय की आदेशिका एवं पत्रावली में अपीलांट की अथवा उसके अधिवक्ता की सहमति कहीं भी अंकित नहीं है। अतः अपील अपीलांट पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

जाकर विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर उनवानी मु.नं. 92/2020 दिनांक 11.05.2022 का निर्णय एवं डिक्री अपास्त की जावें एवं अपीलांट वादी के चाहे गये अनुतोष के मुताबिक निर्णय व डिक्री पारित की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि प्रतिवादी संख्या 1 ने विवादित भूमि खसरा नम्बर 748 रकबा 0.01 हैक्टेयर के संबंध में पृथक से एक दावा वाद संख्या 08/2021 उनवानी उम्मेदसिंह बनाम बजरंग सिंह आदि बाबत खाता विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा न्यायालय में पेश किय गया। जिसमें वादी उम्मेद सिंह द्वारा वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 748 रकबा 0.01 हैक्टेयर में अपने 1/3 हिस्से की भूमि का पृथक से विभाजन कर अलग खाता करने का अनुतोष चाहा गया है। साथ में कथन किया है कि प्रतिवादी संख्या 1 बजरंगसिंह वादग्रस्त भूमि पर बने हुये कुयें में स्थित कृषि कनेक्शन को अन्य स्थानान्तरण करवाने पर अमादा है। विचारण न्यायालय में उभयपक्ष के मध्य निम्न बिन्दुओं पर सहमति बनी। खसरा नम्बर 748 रकबा 0.01 हैक्टेयर किस्म गैर मु. कुआं पर स्थित विद्युत कनेक्शन को पक्षकार अन्यत्र स्थानान्तरण नहीं करेगा। खसरा नम्बर 748 रकबा 0.01 हैक्टेयर में कुऐ पर विद्युत करनेक्शन को कृषि/घरेलु (पीने के पानी हेतु) कार्य में अपने–अपने हिस्से अनुसार उपयोग उपभोग में लेने पर कोई पक्षकार व्यवधान नहीं करेगा। कुऐं एंव इसके आस–पास बने गुमटी, ढ़ाणा एवं अन्य किसी प्रकार के पूर्व में निर्मित संरचना का उपयोग उपभोग में लेने हेतु कोई पक्षकार व्यवधान पैदा नहीं करेगा। कुऐं का उपयोग कृषि कार्य में लेने हेतु कुऐं से अपने–अपने खेत खसरा नम्बरान तक जमीन से न्यूनतम 3 फीट गहराई में पाईप लाईन डालकर उपयोग करेगा। कुऐं तक आने–जाने में किसी प्रकार का कोई व्यवधान पैदा नहीं किया जावेगा। वादी अपीलांट एवं प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट के मध्य हुई समहति के आधार पर विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिक्री किया

न्यायालय अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर- (कैम्प झुन्झुनूं)

है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय ने बजरंग सिंह बनाम उम्मेद सिंह वगैरह मु.नं. 91/2020 एवं मुकदमा उम्मेद सिंह बनाम बजरंग सिंह वगैरह मु.नं. 08/2021 को कन्सोलिडेट न कर तनकियात कायम न करने की कानूनी भूल की है। विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री में पक्षकारों की सहमति नही होते हुए भी आर.बी.ट्रेरी रूप से सहमति दर्ज कर अपना अपना निर्णय एवं डिक्री पारित की है। विचारण न्यायालय की आदेशिका एवं पत्रावली में अपीलांट की अथवा उसके अधिवक्ता की सहमति कहीं भी अंकित नहीं है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि समेकित किये गये दोनों दावों की एक साथ तनकी कायम कर उभयपक्ष की साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 01.07.2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 10.6.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर